

राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, म.प्र., भोपाल – 462003

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित हैंडबुक मॉडल पर आधारित

मैनुअल्स –17

अध्याय–18

पृष्ठ–62

जून 2018 की स्थिति में

## अध्याय 1 प्रस्तावना

### 1.1- हैण्डबुक की पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअल की जानकारी।

### 1.2- हैण्डबुक का उद्देश्य

हैण्डबुक में बिंदु क्रमांक 1.1 में वर्णित 17 मैनुअल की जानकारी दी गई है।

### 1.3- हैण्डबुक की उपयोगिता

राजभवन के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिए उपयोगी है।

### 1.4- हैण्डबुक का प्रारूप

इस हैण्डबुक में 18 अध्याय हैं जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित जानकारी शामिल है।

### 1.5- परिभाषाएं

सूचना का अधिकार अधिनियम 5 की धारा 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुरूप है।

### 1.6- संपर्क व्यक्ति

हैण्डबुक में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

1.7 हैण्डबुक में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए भी राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

**अध्याय –2 (मैनुअल-1)**  
**संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य**

**2.1– लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।

**2.2– लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन**

बिंदु क्रमांक 2.1 के अनुसार

**2.3– लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग**

1 नवंबर 1956 को नव गठित मध्यप्रदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद का गठन हुआ है।

**2.4– लोक प्राधिकरण के कर्तव्य**

1. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत माननीय राज्यपाल को सौंपे गये विभिन्न कर्तव्य

2.1 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति – 1. अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा 2. बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल 3. देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर 4. जीवाजी वि.वि. ग्वालियर 5.रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर 6. विक्रम वि. वि. उज्जैन 7. जवाहरलाल कृषि वि.वि. जबलपुर 8. म.प्र. भोज (मुक्त) वि.वि. भोपाल 9. चित्रकूट ग्रामोदय वि.वि. चित्रकूट 10. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल 11. महर्षि पाणिनी, संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं 12. ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय, 13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, 14. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, 15. मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 16. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 17. डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, 18. सांची बौध्द-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची जिला रायसेन, 19 राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 20. पंडित एस.एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय शहडोल

2.2 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष (विजिटर) :-

- (1) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- (2) प्रदेश में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 अंतर्गत स्थापित होने वाले समस्त निजी विश्वविद्यालय

3. निम्नांकित संस्थाओं/समितियों के पदेन अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कर्तव्य/ शक्तियां

1. अमलगमेटेड एक्स सर्विसमेन बेनीवोलेंट फंड – चेयरमेन
2. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, एम.पी.ब्रांच – प्रेसीडेंट
3. म.प्र. बाल कल्याण परिषद – प्रेसीडेंट

- 2.5- लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य – बिंदु क्रमांक 2.4 के अनुसार
- 2.6- लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण – निरंक
- 2.7- लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों का संगठनात्मक ढांचा संलग्न परिशिष्ट "अ" पर
- 2.8- लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं– निरंक
- 2.9- जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था – निरंक
- 2.10- जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था
- माननीय राज्यपाल महोदय को प्राप्त शिकायतें निराकरण हेतु राज्य शासन को भेजी जाती है।
- 2.11- मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते ( पतों का जनपदवार वर्गीकरण )

राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल।

पिन कोड 462003

- 2.12- कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10.30 बजे  
कार्यालय के बंद होने का समय : सायंकाल 05.30 बजे

**अध्याय- 3 (मैनुअल -2)**  
**अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य**

3.1-

पद का नाम	<u>राज्यपाल के प्रमुख सचिव</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1 राज्यपाल सचिवालय के विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त शक्तियां
	वित्तीय	1 म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर-1995 के भाग 1 एवं 2 के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय अधिकार
	अन्य	राजभवन सचिवालय की समस्त गतिविधियां इनके निर्देश एवं मार्गदर्शन में संचालित होंगी।
कर्तव्य		उपरोक्तानुसार सौंपी गई शक्तियों का शासन के नियमानुसार पालन करना

पद का नाम	<u>राज्यपाल के सचिव</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>1 राज्यपाल सचिवालय के कार्यालय प्रमुख</p> <p>2 प्रदेश स्थित शासकीय विश्वविद्यालय:- देवी अहिल्या वि. वि. इंदौर, जीवाजी वि.वि. ग्वालियर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा, रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल, भोज मुक्त वि.वि. भोपाल, विक्रम वि.वि. उज्जैन, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची जिला रायसेन, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, पंडित एस.एन.शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल के अधिनियमों के अंतर्गत संबंधित पत्राचार एवं समन्वय।</p> <p>3. प्रदेश स्थित समस्त निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्य।</p> <p>4. आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर माननीय राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट से संबंधित मामले।</p> <p>5. लोक सेवा आयोग एवं लोकायुक्त संगठन की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित कार्य।</p> <p>6. मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड, रेडक्रास सोसायटी, बाल कल्याण परिषद तथा विभिन्न संस्थाओं जिनके माननीय</p>

		राज्यपाल महोदय अध्यक्ष/संरक्षक हैं से संबंधित कार्य। 7. माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम हेतु संबंधित विभाग/संस्थाओं से समन्वय/पत्राचार तथा यात्रा कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक समन्वय।
	वित्तीय	1 म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर-1995 के भाग 1 एवं 2 के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय अधिकार
	अन्य	1 राज्यपाल के प्रमुख सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य		सौंपी गई समस्त शक्तियों का नियमानुसार पालन करना

पद का नाम	राज्यपाल के उपसचिव	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>1 राज्यपाल सचिवालय की स्थापना/ लेखन सामग्री/ लेखा/हाउसहोल्ड से संबंधित कार्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण</p> <p>2 देवी अहिल्या वि.वि.इंदौर, जीवाजी वि.वि. ग्वालियर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा, रानी दुर्गावती वि. वि. जबलपुर,, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल, भोज मुक्त वि.वि. भोपाल, विक्रम वि.वि. उज्जैन, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची जिला रायसेन, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, पंडित एस.एन.शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल के अधिनियमों के अंतर्गत संबंधित पत्राचार एवं समन्वय 3 राजभवन में आयोजित कार्यक्रम एवं आमंत्रित अतिथियों /विशिष्ट अतिथियों के आगमन एवं व्यवस्था हेतु समस्त कार्यरत शाखाओं के मध्य समन्वय तथा माननीय को प्राप्त अभ्यावेदन/अपील संबंधित विभागों को प्रेषण एवं उन पर सतत अनुश्रवण</p> <p>4. संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत सजा माफी संबंधी अभ्यावेदन पर पत्राचार।</p> <p>5. माननीय के मानद चिकित्सकों की नियुक्ति, वाहन शाखा से संबंधित प्रशासनिक कार्य</p> <p>6. राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों के व्यक्तिगत स्वत्वों एवं समस्याओं का निराकरण</p>
	वित्तीय	निरंक

	अन्य	1 राज्यपाल के अपर सचिव के अवकाश/प्रवास पर होने पर उनके समस्त कार्यों का निर्वहन 2 राज्यपाल के प्रमुख सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	सौंपी गई समस्त शक्तियों का नियमानुसार निर्वहन करना
पद का नाम	<u>राज्यपाल के विधि अधिकारी</u>	
कर्तव्य		1 माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति /प्रख्यापन हेतु प्राप्त होने वाले बिल्स एवं अध्यादेशों का परीक्षण करना 2. विधिक प्रकरणों का परीक्षण एवं अभिमत देना 3. संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रस्तुत दया याचिका पर अभिमत देना 4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों से माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण 5. म.प्र. विश्वविद्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों पर आवश्यकतानुसार विधिक अभिमत 6. माननीय राज्यपाल महोदय तथा राज्यपाल के प्रमुख सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य ।

पद का नाम	<u>नियंत्रक हाउसहोल्ड</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. राजभवन हाउसहोल्ड कक्ष के प्रभारी के रूप में विधिक, कार्मिक एवं प्रशासनिक कार्य।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1 2 3 4 5. .	राजभवन का संपूर्ण रखरखाव एवं सामग्री प्रबन्धन। माननीय राज्यपाल तथा उनके परिवार तथा अतिथियों की समस्त व्यवस्थायें। राजभवन में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा संबंधी समस्त व्यवस्थायें राजभवन में समय-समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य कार्यक्रमों संबंधी व्यवस्था मान. राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम में शामिल होने संबंधी नस्तियां

	6.	रेडक्रास
	7.	मा. राज्यपाल के कार्यक्रम

पद का नाम	<u>लेखा अधिकारी</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. कक्ष के स्टॉफ पर प्रशासकीय नियंत्रण एवं स्थापना
	वित्तीय	1 राज्यपाल सचिवालय के आहरण एवं संवितरण का कार्य 2 राज्यपाल (भत्ते व परिलब्धियां) नियम 1987 के अंतर्गत प्रावधानित राशि से संबंधित कार्य
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	राज्यपाल के सचिवालय के लेखा, वित्त, बजट से संबंधित कार्य
	2	माननीय के यात्रा प्रवास संबंधी व्ययों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही
	3	राजभवन में समय-समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य कार्यक्रमों संबंधी व्यवस्था
	4	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित स्वत्वों का भुगतान समय पर होने बाबत कार्यवाही
	5	कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करना
	6	राजभवन परिसर में कार्यरत बैंक एवं पोस्ट आफिस से समन्वय

पद का नाम	<u>राज्यपाल के परिसहाय</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. परिसहाय कार्यालय के स्टॉफ का प्रशासनिक नियंत्रण 2. राजभवन के सुरक्षा संबंधी समस्त प्रशासकीय कार्यों पर नियंत्रण 3. राजभवन गैरेज का प्रशासकीय नियंत्रण.
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	माननीय की आवश्यकतानुसार संपूर्ण समय (24घंटे) अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखना।
	2	शहर में आयोजित कार्यक्रमों में माननीय के जाने/आने की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना तथा माननीय के साथ रहना।
	3	माननीय के प्रवास से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना तथा साथ रहना
	4	राजभवन में पधारने वाले विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अतिथियों



	5	को रेल्वे स्टेशन/हवाई अड्डा जाकर रिसेव तथा सी-आफ करना
	6	माननीय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव के अनुमोदन उपरांत एगेंजमेंट डायरी तैयार करना एवं आने वाले आगंतुकों को उपस्थिति समय की जानकारी देना
	7	माननीय के आगमन/प्रस्थान के समय संबंधित वाहन एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना
	8	राजभवन में राष्ट्रीय झंडा का आरोहन/अवतरण तथा रेड लाइट चालू/बंद हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना
		माननीय के कार्यक्रम के संबंध में राज्यपाल सचिवालय के मध्य समन्वय
पद का नाम	<b>राज्यपाल के विशेष सहायक</b>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. कक्ष से संबंधित स्टॉफ का प्रशासकीय नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	माननीय को प्राप्त ज्ञापन, शिकायत, मांग, याचिकाएँ एवं अपील से संबंधित पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करना।
	2	लोक सूचना अधिकारी राजभवन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन।
	3	दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना
	4	नववर्ष, दीपावली, ईद आदि पर्व के शुभकामना पत्रों का प्रेषण एवं सूची अद्यतन रखना। राजभवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्वों एवं कार्यक्रमों के आमंत्रण सूची अद्यतन कर प्रेषण।
	5	शासन से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संबंधी नस्तियों का संधारण एवं टीप सहित प्रमुख सचिव/माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना।
	6.	विविध पुरस्कार यथा इंदिरा गांधी, जीवन रक्षा पदक, पद्मश्री, राष्ट्रपति पदक आदि से संबंधित पत्राचार
	7..	
पद का नाम	<b>राज्यपाल के प्रेस अधिकारी</b>	
शक्तियां	प्रशासकीय	प्रेस कक्ष के स्टॉफ का प्रशासकीय नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य

कर्तव्य	1 2 3 4 5	प्रेस प्रतिनिधियों / जनसंपर्क विभाग से प्रभावी समन्वय प्रमुख राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय / स्थानीय घटना का संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवरण प्रतिदिन माननीय के अवलोकनार्थ तैयार करना माननीय के उद्बोधन / भाषण का प्रारूप तैयार कर प्रमुख सचिव से अनुमोदन प्राप्त करना माननीय के कार्यक्रमों का प्रकाशन / प्रसारण प्रभावी ढंग से करना माननीय के संदेश तैयार करना
पद का नाम	<b><u>सहायक सत्कार अधिकारी</u></b>	
		राजभवन भोपाल एवं राजभवन पचमढ़ी की सत्कार संबंधी समस्त व्यवस्थाएं राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
पद का नाम		<b><u>कैटरिंग मैनेजर</u></b>
कर्तव्य	1. 2.	राजभवन की खानपान से संबंधी समस्त व्यवस्थाएं राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
पद का नाम	<b><u>राज्यपाल के निज सचिव</u></b>	
कर्तव्य	1 2 3 4 5 6. 7.	माननीय के व्यक्तिगत पत्राचार एवं राष्ट्रीय पर्वों के शुभकामना संदेशों का प्रेषण एवं अद्यतन सूची संधारण माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों, माननीय लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, म.प्र. लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां एवं अवकाश संबंधी नस्तियों का संधारण माननीय के राज्य के बाहर की यात्राओं की अनुमति राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त करना माननीय राज्यपाल के नाम से प्राप्त पत्रों को माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना शासन से प्राप्त विधेयकों / अध्यादेशों पर माननीय की अनुमति प्राप्त कर शासन को प्रेषित करना। माननीय राष्ट्रपति महोदय को मासिक प्रतिवेदन समय पर तैयार कर प्रेषित करना। माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीपरिषद के सदस्यों की शपथ / त्यागपत्र / विभागों का वितरण आदि से संबंधित समस्त कार्यों की नस्तियों का संधारण।

पद का नाम	<u>सुरक्षा अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	राजभवन में कार्यरत सुरक्षा स्टाँफ पर नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	सुरक्षा के संबंध में परिसहाय, राज्यपाल के प्रमुख सचिव, अपर सचिव एवं उपसचिव द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यवाही।
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय एवं उनके परिवार तथा राजभवन की सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य
पद का नाम	<u>राज्यपाल के निज सहायक</u>	
शक्तियां	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उपसचिव /अपर सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय के व्यक्तिगत कार्य एवं व्यवस्था की देखरेख।
	2.	राज्यपाल के निज सचिव को आवंटित समस्त कार्य में सहयोग प्रदान करना।

पद का नाम	<u>राज्यपाल के ओ.एस.डी.</u>	
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सौंपे गए समस्त कार्य का निर्वहन करना

राजभवन – मध्यप्रदेश

अध्याय – 4 (मैनुअल – 3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1

अभिलेख का नाम – राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम 1982	अभिलेख का प्रकार – विनियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – राज्यपाल के वेतन भत्ते के संबंध में उपरोक्त नियम की प्रति प्राप्ति हेतु पता –	राजभवन-मध्यप्रदेश भोपाल दूरभाष – 0755 – 2858817 फैक्स – 0755 – 2858825 ईमेल – <a href="mailto:mprajbhawan@mp.gov.in">mprajbhawan@mp.gov.in</a>

अभिलेख का नाम –	अभिलेख का प्रकार – विनियम
1. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973	
2. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991	
3. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963	
4. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 1991	
5. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998	
6. इंडियन रेडक्रास सोसायटी म.प्र. ब्रांच रेग्युलेशंस	
7. म.प्र. बाल कल्याण परिषद, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेग्युलेशंस	
8. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006	
9. ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (राजमाता विजयाराजे सिंधिया)	
10. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009	
11. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007	
12. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010	
13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011	
14. म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011	
15. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम –2015	
16. सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम –2012,	
17. पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम-2016	
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय –संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के संचालन हेतु	
उपरोक्त नियम की प्रति प्राप्ति हेतु पता	संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान

**देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर**

क्र1	कुलपति	डॉ. एन.के. धाकड़	कार्यकाल 07.05.16 से 06.05.20
------	--------	------------------	-------------------------------

**मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन**

	नाम	अवधि
<b>अनारक्षित वर्ग</b>		
1.	प्रो. मोहनलाल छीपा, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी वि.वि. भोपाल	दिनांक 28.04.17 से दिनांक 27.04.20 तक
2	डॉ. रागिनी मक्खर, 65 एफबी., स्कीम नं. 94, लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स के पास, बंगाली चौराहा, सर्वीस रोड, इन्दौर-452001	दिनांक 28.04.17 से दिनांक 27.04.20 तक
3	श्री आलेक डावर, ई-18, साकेत नगर, इन्दौर	दिनांक 02.04.18 से दिनांक 01.04.21 तक
<b>अनुसूचित जाति वर्ग :</b>		
4	डॉ. (श्रीमती) सुनीता चन्द्रा, निवासी बी-11/एफ-11; मीरा कालोनी, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005 (उ.प्र.)	दिनांक 27.06.15 से दिनांक 26.06.18 तक
<b>अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग</b>		
5	श्रीमती गीता मरकाम, 25, अलकापुरी कालोनी, मूसाखेड़ी, इन्दौर-452001	दिनांक 29.09.2016 से दिनांक 28.09.2019 तक
<b>अन्य पिछड़ा वर्ग :</b>		
6	श्री चंद्रशेखर रायकवार 28 रेडियो कालोनी, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर फोन 0371-2710745	दिनांक 27.06.15 से दिनांक 26.06.18 तक

**विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन**

क्र1	कुलपति	प्रो शील सिंधु पांडेय	कार्यकाल 30.05.2015 से 29.05.2019
------	--------	-----------------------	-----------------------------------

**मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन**

नाम	अवधि
-----	------

**अनारक्षित वर्ग**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | डॉ. आशुतोष दुबे,<br>पीपुल्स यूनिवर्सिटी,,<br>भोपाल                              | दिनांक 04.04.2017 से<br>दिनांक 03.04.2020 तक |
| 2 | सुनील कुमार,<br>भवनी प्रसाद महाविद्यालय,<br>कटनी रोड,<br>सिहोरा, जबलपुर(म.प्र.) | दिनांक 12.06.2017 से<br>दिनांक 11.06.2020 तक |
| 3 | श्री सुरेन्द्र गांधी,<br>डी-1 / 50, दानिश नगर,<br>होशंगाबाद रोड,<br>भोपाल       | दिनांक 12.06.2017 से<br>दिनांक 11.06.2020 तक |

**अनुसूचित जाति वर्ग :**

- |   |       |  |
|---|-------|--|
| 4 | रिक्त | <b><u>दिनांक 16.05.17 से रिक्त</u></b> |
|---|-------|--|

**अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 5 | श्रीमती अमृता सोलंकी,<br>117,रूपराम नगर, 105, शिव-शक्ति अपार्टमेंट,<br>माणिकबाग रोड, इन्दौर | दिनांक 16.04.2018 से<br>दिनांक 15.04.2021 तक |
|---|---|--|

**अन्य पिछड़ा वर्ग :**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 6 | प्रो. डॉ. राजाराम यादव,<br>भौतिकी विभाग, ,<br>(यू.जी.सी. सेन्टर ऑफ एडवांस स्टडीज<br>इलाहाबाद विश्वविद्यालय,<br>इलाहाबाद (उ.प्र.) | दिनांक 04.04.2017 से<br>दिनांक 03.04.2020 तक |
|---|--|--|

**जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर**

क्र1	कुलपति	डॉ. (प्रो) संगीता शुक्ला	कार्यकाल 19.11.2017 से 18.11.21
------	--------	--------------------------	---------------------------------

**मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नाम निर्देशन**

नाम	अवधि
<b>अनारक्षित वर्ग</b>	
1 श्री राम प्रताप सिंह, डी-12 गार्डन होम्स, सिटी सेंटर (हाईकोर्ट के पीछे ग्वालियर (म.प्र.)	दिनांक 21.1.16 से दिनांक 21.1.19 तक
2 श्री ऋषभ कुमार जैन, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, 12बी, शुभ-लाभ एवेन्यू, वैभव नगर, राम मंदिर के पीछे, कनाड़िया रोड, इन्दौर (म.प्र.)	दिनांक 24.07.15 से दिनांक 23.07.18 तक
3 श्री डी.पी. सिंह, अधिवक्ता 86-ए, गोविन्दपुरी, सिटी सेन्टर, ग्वालियर,	दिनांक 11.07.2016 से, दिनांक 10.07.2019 तक
<b>अनुसूचित जाति प्रवर्ग</b>	
4. श्रीमती सुनीता बराहदिया ए-6, विवेक नगर, थाटीपुर, मुरार ग्वालियर (म.प्र.)	दिनांक 29.09.2016 से दिनांक 28.09.2019 तक
<b>अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग</b>	
5. डॉ.(श्रीमती) रश्मि कुजूर, 6, चिनव अपार्टमेंट, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर	दिनांक 25.04.2018 से दिनांक 24.04.2021 तक
<b>अन्य पिछड़ा प्रवर्ग</b>	
6 श्री हुकुम सिंह यादव, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 220, पटेल नगर, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)	दिनांक 24.07.15 से दिनांक 23.07.18 तक

**रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर**

क्र1	कुलपति	प्रो. कपिल देव मिश्र	कार्यकाल 30.11.15 से 29.11.19
------	--------	----------------------	-------------------------------

**मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन**

नाम	अवधि
<b>अनारक्षित वर्ग</b>	
1 श्रीमती संगीता जोशी, 6, पंडित विहार कालोनी, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, गोले का मंदिर, ग्वालियर	दिनांक 21.06.15 से दिनांक 20.06.18 तक
2 श्री दिनेश सिंह, मैहर हाउस, पचपेढी, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर	दिनांक 06.07.15 से दिनांक 05.07.18 तक
3 श्री विद्या सागर सिंह, विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय वि.वि. टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड,	दिनांक 12.08.2016 से दिनांक 11.08.2019 तक
<b>अनुसूचित जाति प्रवर्ग</b>	
4 डॉ. गजेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, (दिल्ली विश्वविद्यालय), 42-ए, अमृत नगर, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली-110003	दिनांक 05.12.2015 से दिनांक 04.12.2018 तक
<b>अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग</b>	
5 श्रीमती सुशीला मार्को, वार्डन. 09, नर्मदा गंज, डिडोरी तहसील व जिला डिडोरी (म.प्र.)	दिनांक 14.06.2016 से दिनांक 13.06.2019 तक
<b>अन्य पिछड़ा प्रवर्ग</b>	
6 डॉ० दिलीप सिंह यादव, , बी-77, गोविन्दपुरी, थाटीपुर, ग्वालियर(म.प्र.)	दिनांक 14.06.2016 से दिनांक 13.06.2019 तक



**अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा**

क्र1	कुलपति	डॉ. के.एन. सिंह यादव	कार्यकाल 08.07.15 से 07.07.19
------	--------	----------------------	-------------------------------

**मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नाम निर्देशन**

नाम	अवधि
-----	------

**अनारक्षित वर्ग**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | श्री गजेन्द्र दुबे, ,<br>अधिवक्ता, औघड दास आश्रम<br>राधिकापुरी, जे.पी. रोड, पाडरा,<br>रीवा (म.प्र.)                         | दिनांक 06.07.2015 से<br>दिनांक 05.07.2018 तक |
| 2 | प्रो. कमलेश मिश्रा,<br>प्रोफेसर-संचालक,<br>यू.जी. ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट सेंटर,<br>रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,<br>जबलपुर | दिनांक 06.07.15 से<br>दिनांक 05.07.18 तक     |
| 3 | श्री एस.एस. तिवारी,<br>जे.एन.सी.टी. चौराहा रठारा,<br>रीवा-486001, (म.प्र.)  | दिनांक 14.06.2016 से<br>दिनांक 13.06.2019 तक |

**अनुसूचित जाति**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | श्रीमती रेखा किशोरे,<br>ई.एन.- 2/6, चार इमली,<br>भोपाल, | दिनांक 14.06.2016 से<br>दिनांक 13.06.2019 तक |
|---|---|--|

**अनुसूचित जन जाति**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 5 | डॉ. रश्मि ठाकुर, ,<br>असिस्टेंट प्रोफेसर विधि,<br>इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | दिनांक 01.06.2016 से<br>दिनांक 31.05.2019 तक |
|---|--|--|

**अन्य पिछड़ा वर्ग**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 6 | प्रो. कालिका यादव,<br>प्रोफेसर,<br>सतत एवं विस्तार शिक्षा अध्ययनशाला,<br>बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल | दिनांक 28.01.2016 से<br>दिनांक 27.01.2019 तक |
|---|---|--|

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्र1	कुलपति	प्रो. डी.सी. गुप्ता	कार्यकाल 04.04.18 से आगामी आदेश तक
------	--------	---------------------	------------------------------------

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नाम निर्देशन

वर्तमान में धारा 52 के प्रावधान लागू है। (अधिसूचना की कालावधि तक)

नाम	अवधि
1. श्री शशि रंजन अकेला, उपनिदेशक, कालीदास अकादमी, उज्जैन	
2. डॉ. मुकेश मिश्रा, निदेशक, दत्तोपन्त टेंगड़ी शोध संस्थान, 'टेंगड़ी भवन', भारतमाता चौक, भदभदा रोड़, भोपाल	
3. डॉ. योगेन्द्र पयासी, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल,	
4. श्री अजय सिंधल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बी-1, विवेक विहार, ग्वालियर (म.प्र.)	
5. श्री किशन सूर्यवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता, बी-16, मनोरमा इन्क्लेव, वैशाली नगर, भोपाल,	
6. डॉ. मंजुला शर्मा, प्राचार्य, नूतन कॉलेज, भोपाल,	

**महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर**

क्र1	कुलपति	डॉ. प्रियव्रत शुक्ल	कार्यकाल 12.06.15 से 11.06.19
------	--------	---------------------	-------------------------------

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नाम निर्देशन

नाम	अवधि
-----	------

**अनारक्षित वर्ग**

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | डा. एस.बी.सिंह भदौरिया<br>पूर्व प्राचार्य,<br>रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,<br>अजमेर (राजस्थान) | दि. 25.01..2016 से<br>दि. 24.01..2019 तक |
| 2  | श्री अतुल त्रिपाठी<br>76, वैशाली नगर, कोटास,<br>भोपाल-462003                                    | — तदैव—                                  |
| 3. | श्री अवनिश शर्मा,<br>प्रकाश पब्लिक स्कूल<br>टेकनपुर, जिला ग्वालियर                              | — तदैव—                                  |

**अनुसूचित जाति वर्ग :**

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 4 | डॉ. भावना झारिया,,<br>ई.एन.-3,<br>उज्जैन इंजीनियरिंग कालेज कालोनी,<br>उज्जैन (म.प्र.) | — तदैव— |
|---|---|---------|

**अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग**

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 5 | श्री कमलेश सिंह,<br>ग्राम-सुकवाहा, पोस्ट खरयानी,<br>तहसील-बिजावर,<br>जिला छतरपुर (म.प्र.) | — तदैव— |
|---|---|---------|

**अन्य पिछड़ा वर्ग :**

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 6 | श्रीमती मोनिका गौड़,<br>50, नेताजी सुभाष मार्ग,<br>इन्दौर | — तदैव— |
|---|---|---------|

**जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25(1) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रमण्डल में माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित सदस्यों की स्थिति**

क्र.1	कुलपति	प्रो. प्रदीप कुमार बिसेन	कार्यकाल 23.11.2017 से 22.11.2022
-------	--------	--------------------------	-----------------------------------

**1. धारा 25(1)(तीन) के अंतर्गत कृषि/शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रख्यात व्यक्ति :-**

1. प्रो. पंजाब सिंह, दिनांक 26.06.2015 से  
सरस्वती कुंज, नारायणपुर, दिनांक 25.06.2018 तक  
वाराणसी, (उ.प्र.)
2. डॉ. अविनाश खत्री, दिनांक 26.06.2015 से  
1413/बी-1, गुप्तेश्वर रोड, मदन महल, दिनांक 25.06.2018 तक  
जबलपुर (म.प्र.)

**2. अधिनियम की धारा 25(1)(चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रख्यात प्रगतिशील कृषक :-**

1. श्री महिपाल सिंह, दिनांक 26.06.2015 से  
एम/196, ई-7, अरेरा कालोनी, दिनांक 25.06.2018 तक  
भोपाल - 462016
2. श्री अश्विनी सिंह चौहान, दिनांक 26.06.2015 से  
ग्राम पोस्ट-पीपल्याहामा, तह. घट्टिया, दिनांक 25.06.2018 तक  
जिला उज्जैन

**3. अधिनियम की धारा 25(1)(पांच) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से जुड़ी प्रख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता :-**

- श्रीमती आशा अरुण यादव, दिनांक 26.06.2015 से  
म.नं. बी-159, जयंत परियोजना, दिनांक 25.06.2018 तक  
जिला सिंगरौली - 486890

**4. धारा 25(1)(छः) के अंतर्गत पशु पालन क्षेत्र में शोध/शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक :-**

1. डॉ. बी.एन. सिंह, दिनांक 26.06.2015 से  
ए-46, पदमनाभ नगर, दिनांक 25.06.2018 तक  
भोपाल (म.प्र.)

**राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल**

क्र.1	कुलपति	डॉ. सुनील कुमार पाण्डे	कार्यकाल 21.06.2017 से 20.06.2021
-------	--------	------------------------	-----------------------------------

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 की धारा 25(1) के अंतर्गत कार्यपरिषद में व्यक्तियों का नाम निर्देशन

नाम	अवधि
-----	------

अधिनियम की धारा 25(1)(बारह) के अंतर्गत तकनीकी तथा प्रबंधकीय अनुभव रखने वाले 2 प्रतिष्ठित उद्योगपति

1. श्री हरीश कुमार रीझवानी,  
959/2, साउथ सिविल लाईन्स,  
जबलपुर  
दिनांक 24.06.2017 से  
दिनांक 23.06.2020 तक
2. श्री अनुपम चौकसे,  
31, श्यामला हिल्स, भारत भवन रोड़,  
भोपाल।  
दिनांक 24.06.2017 से  
दिनांक 23.06.2020 तक

अधिनियम की धारा 25(1)(तेरह) के अंतर्गत किसी राष्ट्रीय तकनीकी संस्था से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र का 1 शिक्षाविद

- प्रो. दिवाकर सिंह यादव,  
डायरेक्टर,  
डॉ. बी.आर.ए. इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी,  
बांदा (उ.प्र.)  
दिनांक 01.07.2015 से  
दिनांक 30.06.2018 तक

अधिनियम की धारा 25 (1) (तेरह-क) के अंतर्गत तीन व्यक्ति, जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य प्रवर्गों में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, (इनमें एक महिला होगी) :-

1 अ.जा प्रवर्ग

- डॉ. मंजू मुकुल काम्बले एसोसिएट  
प्रोफेसर,  
डिपार्टमेंट ऑफ हिन्दी,  
दिल्ली वि.वि., फ्लेट नं. 17 माधव गंज  
अपार्टमेंट, सेक्टर-9 रोहणी, दिल्ली  
दिनांक 14.10.2016 से 13.10.2019 तक

2 सामान्य वर्ग

डॉ. संजय कुमार जैन,  
बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड  
टेक्नोलॉजी,  
आनंद नगर, भोपाल।

दि. 29.06.2015 से  
28.06.2018 तक

3 अ.ज.जा वर्ग

श्री जीवन वचन तिर्की,  
सहायक प्राध्यापक,  
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आई.आई.  
टी.  
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,  
वाराणसी

दि. 03.07.2015 से  
02.07.2018 तक

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधिनियम, 2009 की धारा 27(2) के तहत बोर्ड में माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित सदस्यों की स्थिति –

क्र.1	कुलपति	डॉ एस.के.राव	कार्यकाल 26.10.2017 से 25.10.2022
-------	--------	--------------	-----------------------------------

धारा 27(2)(तीन) के अंतर्गत कृषि में अनुसंधान या शिक्षा का पूर्वानुभव रखने वाले दो विख्यात कृषक (एग्रीकल्चरिस्ट) –

(1)	श्री ओम प्रकाश मधुरिया, कृषि वैज्ञानिक कानपुर	दि. 28.05.2016 से दि. 27.05.2019 तक
(2)	श्री विजय सिंह तोमर, डी.एच. 33 ए, डी.डी. नगर मुरार, ग्वालियर	दि. 24.04.2018 से दि. 23.04.2021 तक

धारा 27(2)(चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रगतिशील कृषक –

(1)	श्री शिवराज शर्मा, (खसखेड़ा वाले) बाल निकेतन रोड़, गांधी कॉलोनी, मुरैना	दि. 21.04.2018 से दि. 23.04.2021 तक
(2)	श्री रंजीत राणा, ग्राम वीरमपुरा, मुरार, ग्वालियर	दि. 24.04.2018 से दि. 23.04.2021 तक

धारा 27(2)(पांच) के अंतर्गत ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ती

(1)	रिक्त	दिनांक 21.09.14 से रिक्त
-----	-------	--------------------------

धारा 27(2)(छः) के अंतर्गत पशु चिकित्सा या पशुपालन वैज्ञानिक, जिसे पशु चिकित्सा या पशुपालन के अनुसंधान या शिक्षा का अनुभव हो –

(1)	डॉ0 प्रवीण शिंदे, पशु चिकित्सक, एफ-108/29, शिवाजी नगर, भोपाल	दिनांक 21.04.2018 से दिनांक 23.04.2021 तक
-----	---	--

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र.1	कुलपति	डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल	कार्यकाल 26.02.2016 से 25.02.2022
-------	--------	-----------------------	-----------------------------------

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अधिनियम, 2009 की धारा 22(2) के तहत बोर्ड में व्यक्तियों का नामनिर्देशन –

धारा 22 (2) (क) के अंतर्गत कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य –

(क) पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध, शिक्षण और विस्तारी शिक्षा में विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षाविद् ;

(1) डॉ. शरद यादव, 10.06.2016 से  
डायरेक्टर, 09.06.2019 तक  
काऊ रिसर्च इंस्टीट्यूट,  
मथुरा।

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह, 10.06.2016 से  
26, रेड स्क्वायर, जाटखेड़ी, 09.06.2019 तक  
होशंगाबाद रोड़,  
भोपाल (म.प्र.)

(ग) पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्योगों का एक प्रतिनिधि; (अशासकीय सदस्य)

(1) श्री दीपक पाटीदार, 10.06.2016 से  
गोटेवाला फार्म, तहसील धर्मपुरी, 09.06.2019 तक  
जिला धार (म.प्र.)

(घ) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ; (अशासकीय सदस्य)

(1) डॉ. प्रियंका जैन, 10.06.2016 से  
35, इन्द्रलोक कॉलोनी, केशरबाग, 09.06.2019 तक  
आर.टी.ओ. रोड़, इन्दौर,



**महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट**

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 के अन्तर्गत प्रबंध बोर्ड के मनोनीत सदस्य :

क्र.1	कुलपति	प्रो. एन.सी. गौतम	कार्यकाल 20.11.2017 से 19.11.2022
(1)	<b>धारा 11 (1) (5) –कृषि, ग्रामीण विकास या शिक्षा की पृष्ठभूमि वाले दो विख्यात वैज्ञानिक</b>		
	<b>नाम</b>	<b>अवधि</b>	
1.	डॉ. रघुराज किशोर तिवारी, सीनियर साइंटिस्ट, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, रीवा (म.प्र.)	दिनांक 19.08.2016 से 18.08.2019 तक	
2.	डॉ. प्रीतम चन्द्रा, संचालक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल (म.प्र.)	तदैव	
(2)	<b>धारा 11 (1)(6)–02 प्रगतिशील किसान –</b>		
1.	श्री शिवजीत, ग्राम–राम नगर,, पोस्ट–रीठी, ब्लॉक–सिकरारा, जिला–जौनपुर (उ0प्र0)।	तदैव	
2.	श्री नारायण सिंह पटेल, “भारत” विक्रम फार्म, करकबेल, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)	तदैव	
(3)	<b>धारा 11(1)(7)(दो)–01 प्रतिभाशाली महिला कार्यकर्ता अधिमानतः जो ग्रामीण उन्नति सम्बन्धि पृष्ठभूमि रखती हो–</b>		
1.	श्रीमती पुनीता अग्रवाल,, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुन्धरा एन्क्लेच, दिल्ली– 110096	दिनांक 13.01.2017 से 12.01.2020 तक	
(4)	<b>धारा 11(1)(7)(तीन)– 01 विख्यात इंजीनियर –</b>		
1.	डॉ. विक्रम सिंह यादव, हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट, एप्लाइड साइंस एंड ह्यूमनिटीस, बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, झांसी (उ.प्र.)	दिनांक 19.08.2016 से 18.08.2019 तक	
(5)	<b>धारा 11(1)(7)(चार)–01 विख्यात शिक्षाविद्–</b>		
1.	डॉ. मनोज दीक्षित, , प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पब्लिक एडकमनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ (उ.प्र.)	दिनांक 19.8.16 से दिनांक 18.8.19 तक	
(6)	<b>धारा 11(1)(11)– 01 विख्यात चिकित्साविद् जिसे देसी औषधियों में विशिष्टता प्राप्त हो–</b>		
1.	डॉ. मनोज कुमार दुबे,, प्रोफेसर, काया चिकित्सा, शासकीय आयुर्वेद कॉलेज, रीवा (म.प्र.),	दिनांक 19.8.16 से दिनांक 18.8.19 तक	

**अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल**

क्र.1	कुलपति	प्रो. राम देव भारद्वाज	कार्यकाल 31.07.2017 से 30.07.21
-------	--------	------------------------	---------------------------------

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011के अन्तर्गत साधारण परिषद में नामांकित सदस्य :-

- विश्वविद्यालय के अधिनियम 2011 की धारा 11-दो (दस) के अन्तर्गत मनोनीत सदस्य :-**
- | नाम   | अवधि   |
|---|--|
| 1. डॉ. मनोज खन्ना,<br>एसोसियेट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स,<br>भास्काराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस, दिल्ली विश्वविद्यालय,<br>दिल्ली, बी-16/18, माडल टाउन, नई दिल्ली | दिनांक 14.10.2016 से<br>दिनांक 13.10.2020 तक |
| 2. डॉ. श्रीमती इनाक्षी चतुर्वेदी,<br>पी.-7, यूनिवर्सिटी कैम्पस,<br>यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान,<br>जयपुर  | दिनांक 14.10.2016 से<br>दिनांक 13.10.2020 तक |

**विश्वविद्यालय के अधिनियम 2011 की धारा 11-दो (ग्यारह) के अन्तर्गत मनोनीत सदस्य :-**

- | अवधि  |  |
|---|--|
| 1. डॉ. अवनैजेश अवस्थी,<br>एसोसियेट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,<br>पी.जी.डी.ए.वी.कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 41, जगदम्बा<br>अपार्टमेन्ट्स सेक्टर-13, रोहिणी,, दिल्ली-110085 | दिनांक 14.10.2016 से<br>दिनांक 13.10.2020 तक |

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011के अन्तर्गत कार्यपरिषद में नामांकित सदस्य –

विश्वविद्यालय के अधिनियम 2011 की धारा 17की उप धारा (2)खण्ड 6 के अन्तर्गत 2व्यक्ति, जिनमें से 01 महिला होगी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो :-

- | अवधि  |  |
|---|--|
| 1. श्रीमती अंजना दुबे,<br>37, अमरनाथ कॉलोनी,<br>कोलार रोड,<br>भोपाल (म.प्र.)                          | दिनांक 29.09.2015 से<br>दिनांक 28.09.2018 तक |
| 2. प्रो. आर.एस. दुबे,<br>अध्यक्ष,<br>हिन्दी विभाग,<br>बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,<br>वाराणसी (उ.प्र.) | तदैव   |

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र.1	कुलपति	प्रो. रमेश चन्द्र पण्डा	कार्यकाल 12.02.2015 से 11.02.2019
-------	--------	-------------------------	-----------------------------------

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 17की उपधारा (2) की कंडिका (छः) के अन्तर्गत कार्यपरिषद में व्यक्तियों का नामनिर्देशन

	नाम	अवधि
<u>अनारक्षित वर्ग :</u>		
1.	रिक्त	दिनांक 26.08.17 से
2.	रिक्त	---तदैव---
3.	रिक्त	---तदैव---
<u>अनुसूचित जाति :</u>		
1.	रिक्त	---तदैव---
<u>अनुसूचित जनजाति :</u>		
1.	रिक्त	दिनांक 19.09.17 से
<u>अन्य पिछड़ा वर्ग :</u>		
1.	रिक्त	दिनांक 26.08.17 से

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र.1	कुलपति	डॉ. आर.एस. शर्मा	कार्यकाल 07.01.2016 से 06.01.2020
-------	--------	------------------	-----------------------------------

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की धारा 24(1)(दस) के अन्तर्गत कार्यपरिषद में व्यक्तियों का नामनिर्देशन

अधिनियम की धारा 24(1)(दस) के अन्तर्गत 2 व्यक्तियों का नामनिर्देशन :-

चिकित्सा / दन्त / नर्सिंग / आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी / योग / नेचुरापैथी / सिद्ध / सह-चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र के 2 शिक्षाविद् जिन्हें कुलाधिपति जी द्वारा नामांकित किया जाएगा।

नाम	अवधि
1. डॉ. चन्द्रेश शुक्ला, दंत चिकित्सक, 3ए/48 साकेत नगर, निकट बी.एस.एस. कॉलेज, भोपाल (म0प्र0)	दिनांक 05.05.2017 से दिनांक 04.05.2020 तक
2. डॉ. मनोज पराशर,, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, मेडिकल कॉलेज, 1641/ए, जय नगर, यादव कालोनी, जबलपुर (म.प्र.) 482002	दिनांक 05.05.2017 से दिनांक 04.05.2020 तक

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र.1	कुलपति	डॉ. लवली शर्मा	कार्यकाल 05.12..2016 से 04.12..2020
-------	--------	----------------	-------------------------------------

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 9 (12) के तहत 01 विख्यात कलाकार :

(1) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 9(12) के अन्तर्गत नामांकित साधारण परिषद सदस्य : -

नाम	अवधि
1. डॉ. एस.एल. कंडारा, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट, आकाशवाणी-दूरदर्शन, रिटायर्ड चीफ प्रोड्यूसर/डायरेक्टर, दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली/भोपाल, बी,-51, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल	दिनांक 03.02.2016 से दिनांक 02.02.2019 तक

(2) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 21(1) (चार) के अन्तर्गत 1 विद्या परिषद सदस्य :-

1. प्रो. उमा गर्ग, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, संगीत संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिनांक 01.02.2016 से दिनांक 31.01.2019 तक
--	--

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची जिला-रायसेन

क्र.1	कुलपति	प्रो. यजनेश्वर शास्त्री	कार्यकाल 25.07..2016 से 18.12..2018
-------	--------	-------------------------	-------------------------------------

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की कंडिका 21 (10) के तहत साधारण परिषद के नाम निर्देशन :-

धारा 21 की कंडिका (दस) के तहत राज्य सरकार के परामर्श से कुलाध्यक्ष द्वारा बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन के क्षेत्र के 02 विद्वानों का 05 वर्ष के लिए दिनांक 07.1.14 को नामनिर्देशन

नाम	अवधि
(1) श्री वेन, बनागला उपतिस्सा नायके थेरो, श्रीलंका	दिनांक 08.01.14 से दिनांक 07.01.19 तक
(2) श्री सागरमल जैन, शाजापुर	---तदैव---

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

क्र.1	कुलपति	डॉ. रविन्द्र आर कान्हेरे	कार्यकाल 18.03.17 से 17.3.2018
-------	--------	--------------------------	--------------------------------

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 के तहत माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा नामित प्रबंध बोर्ड के सदस्यों की सूची :-

नोट:- विश्वविद्यालय में वर्तमान में अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान प्रभावशील होने से प्रबंध मण्डल अस्तित्व में नहीं है। कुलपति की सहायता हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से नाम चाहे गए है।

---\*\*\*---

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु

क्र.1	कुलपति	श्री बी.आर. नायडू	कार्यकाल 19.09.17 से 19.09.2018
-------	--------	-------------------	---------------------------------

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 के तहत माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा नामित प्रबंध बोर्ड के सदस्यों की सूची :-

नोट:- विश्वविद्यालय में दिनांक 18.09.17 से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अनिनियम, 2015 की धारा 44 के प्रावधान प्रभावशील किए गये हैं। इस कालावधि में कुलपति की सहायता के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु राज्य शासन से नाम चाहे गए है प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05.02.18/07.04.18 को स्मरण कराया गया है।

---\*\*\*---

पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल

क्र.1	कुलपति	डॉ. मुकेश तिवारी	कार्यकाल 12.08.17 से 11.08.22
-------	--------	------------------	-------------------------------

विश्वविद्यालय के शासी निकाय एवं कार्यपरिषद में कुलाधिपतिजी के द्वारा अशासकीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अधिनियम में नहीं है।

---\*\*\*---

(म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 22 (1) उपधारा (घ) के प्रावधान अंतर्गत) माननीय कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा शासी निकाय / प्रबंध बोर्ड में नामांकित सदस्य ( दिनांक 29.05.2018 की स्थिति)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के नाम	नमांकित सदस्यों का अनुमोदन माह
1	2	3
(1)	आईसेक्ट निजी विश्वविद्यालय, रायसेन 1. डॉ0 राजेश श्रीवास्तव, उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थान, भोपाल 2. डॉ0 कैलाश पंत, हिन्दी भवन, भोपाल 3. श्रीमती प्रीति उपाध्याय, भोपाल	(फरवरी, 2016)
(2)	आई0टी0एम0 निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 1. डॉ0 राजकुमार जैन, दिल्ली 2. डॉ0 नीलिमा चंदेल, ग्वालियर 3. श्री अशोक वाजपेयी, नई दिल्ली	(सितम्बर, 2011)
(3)	ए0के0एस0 निजी विश्वविद्यालय, सतना 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, बैतूल 2. डॉ0 हितेन्द्र शाह, कोलकाता 3. डॉ0 नविता श्रीवास्तव, रीवा	(मई, 2016)
(4)	टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिंरोज, विदिशा 1. प्रो0 पी0के0वर्मा, भोपाल 2. प्रो0 पी0सी0त्रिवेदी, गोरखपुर 3. प्रो0 आर0के0पाण्डेय, भोपाल	(दिसम्बर, 2012)
(5)	एमीटी निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 1. श्री राजेश कुमार दीक्षित, भोपाल 2. श्री राजेश सिंह, अमरावती 3. डॉ0 भूपेन्द्र नाथ तिवारी, बिलासपुर	(सितम्बर, 2015)
(6)	जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, भोपाल 1. डॉ0 विनय पाठक, राजस्थान 2. डॉ0 अरुण कुमार पाण्डेय, दिल्ली 3. डॉ0 एस0एम0पाल खुराना, हरियाणा	(सितम्बर, 2013)
(7)	श्री सत्यसाईं टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंस निजी विश्वविद्यालय, सीहोर 1. श्री राजेश कुमार सिंह, भोपाल 2. श्री जुनेद अली, भोपाल 3. श्री गुलशन कपूर, इन्दौर	(फरवरी, 2014)
(8)	एल0एन0सी0टी0 निजी विश्वविद्यालय, भोपाल 1. डॉ0 बी0के0 शर्मा, 2. श्री सुदेश कुमार, 3. डॉ0 आर0एन0 यादव, भोपाल	(सितम्बर, 2015)

- (9) स्वामी विवेकानन्द निजी विश्वविद्यालय, सागर (नवम्बर, 2015)
1. डॉ० ए०के०गवाल
  2. डॉ० यशवंत सिंह ठाकुर
  3. डॉ० प्रभात कुमार
- (10) ओरिएन्टल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (नवम्बर, 2015)
1. श्री राजेन्द्रनाथ मेहरोत्रा, ग्वालियर
  2. श्री रमेश गुप्ता, उद्योगपति, इन्दौर
  3. श्री अनिल खरिया, उद्योगपति, इन्दौर
- (11) पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (अगस्त, 2015)
1. प्रो० शकूर खान, भोपाल
  2. डॉ० आनंद सक्सेना, भोपाल
  3. श्री रमेश तिवारी, भोपाल
- (12) जे०पी० अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी निजी विश्वविद्यालय, राघोगढ़ गुना (मार्च, 2011)
1. डॉ० पी०के०मिश्रा, इन्दौर
  2. प्रो० बृजेन्द्र सिंह, भोपाल
  3. प्रो० एस०पी०सिंह, इन्दौर
- (13) रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (फरवरी, 2016)
1. डॉ. बी.एस. माने, पुणे
  2. मेजर जनल बी.एल.खन्ना, भोपाल
  3. श्री चन्द्र किशोर, भोपाल
- (14) सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (मार्च, 2016)
1. श्री सुनील पाटिल, सहायक प्राध्यापक, एसएटीआई, विदिशा
  2. डॉ. अमरजीत सिंह, ब्रिगेडियर, सेवानिवृत्त/शिक्षाविद्
  3. डॉ. बी.एस.माने, संयुक्त कुलसचिव, हैरिटेज प्लाजा लिंक रोड, चिंचवड, पुणे
- (15) श्री वैष्णव विद्यापीठ निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)
1. डॉ. अनिल काकोडकर, पूर्व अध्यक्ष, एटोमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया
  2. डॉ. नरेश त्रेहान, अध्यक्ष मेदान्ता मेडीसेक्टर 38, गुडगांव, हरियाणा।
  3. डॉ. आर.ए. मसेलकर, कुलाधिपति, ग्लोबल रिसर्च एलाइन्स नेशनल केमीकल लेबोरेटरी, पाषाण रोड, पुणे।



- (16) मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, मंदसौर (मई, 2016)
1. श्री सुधीर मेहता, एमडी फोर्स, मोटर्स पुणे।
  2. डॉ. एस.एम.पाल खुराना, पूर्व कुलपति, गुडगांव, हरियाणा।
  3. प्रो.प्रदीप श्रीवास्तव, आचार्य, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल।
- (17) मेडीकेप्स निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)
1. श्री सुरेश चॉद, प्राध्यापक, पैलट नं. 2 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
  2. डॉ. विनोद कृष्ण सेठी, सेवानिवृत्त, निर्देशक, यूटीआई एवं विभागाध्यक्ष, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
  3. डॉ. शील सिन्धु पाण्डेय, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- (18) पी. के. निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मई, 2016)
1. डॉ. कपिलदेव मिश्र, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
  2. डॉ. एम.के. गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायलॉजी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
  3. डॉ.अनिल प्रकाश, प्रोफेसर, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- (19) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)
1. डॉ. (ब्रिगेडियर) अमरजीत सिंह, 504, ब्लू बेल फ्लावर तेली वनवाडी, पुणे।
  2. श्री भूपिन्दर मगन, डी-122, एन.टी.पी.सी. टाउनशिप शैर्य, सेक्टर 33, नोएडा, उ.प्र.
  3. मेजर ज. बनवारी लाल खन्ना, सेवानिवृत्त, 20 ए कोलार रोड, लेकसाइड, चेलेट, चूना भट्टी, भोपाल।

निम्नलिखित निजी विश्वविद्यालय में शासी निकाय/प्रबंधन बोर्ड में सदस्यों कानामांकन अभी नहीं हुआ है—

- (20) मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, इंदौर
- (21) सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इंदौर
- (22) जी.एच. रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा
- (23) डी.सी. निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (24) अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन
- (25) व्ही.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर
- (26) रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (27) मध्यांचल प्रोफेशनल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल
- (28) भाभा निजी विश्वविद्यालय, भोपाल
- (29) मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर

**मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति की सूची (दिनांक 02.01.2018)**

क्र.	नाम	विश्वविद्यालय का नाम	पदभार ग्रहण करने का दिनांक एवं कार्यकाल	फोन		
				कार्यालय	निवास	फैक्स
1	प्रो. रामदेव भारद्वाज	अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल	31.07.2017 से 30.07.2021 तक	2491051	2429762	—
2	डॉ. एस.के. राव	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि वि.वि., ग्वालियर	26.10.2017 से 25.10.2022 तक	2467673	2467685	0751— 2464141 2467672 2467673
3	डॉ. संगीता शुक्ला	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	19.11.2017 से 18.11.2021 तक	2341348, 2442701	2343176,	0751— 2341450
4	प्रो. एन.सी.गौतम	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वि.वि., चित्रकूट	21.11.2017 से 19.11.2021 तक	265413	235110	07670— 265413
5	प्रो. प्रदीप कुमार बिसेन	जवाहर लाल नेहरू कृषि वि. वि., जबलपुर	23.11.2017 से 22.11.2022 तक	2681706	2681809	0761— 2681389 2681074
6	डॉ. डी.सी.गुप्ता	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	04.04.18 आगामी आदेश तक	2517001	2517002	0755— 2517003
7	प्रो. रमेश चन्द्र पण्डा	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक वि.वि., उज्जैन	12.02.2015 से 11.02.2019 तक	2526044	2530646	0734— 2524845
8	प्रो. एस. एस. पाण्डेय,	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	30.05.2015 से 29.04.2019 तक	2514270	2511071 2511673	0734— 2514276
9	प्रो. प्रियव्रत शुक्ल,	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर	12.06.2015 से 11.06.2019 तक	9644864444 9424705702	07682 244446	07682 244442
10	प्रो. के.एन. सिंह यादव	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	08.07.2015 से 07.07.2019 तक	233819	242175 251952	07662— 233819 233036
11	प्रो. कपिल देव मिश्र,	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	30.11.2015 से 29.11.2019 तक	0761— 2601452	0761— 2607452	2603752 2600632
12	डॉ. आर.एस. शर्मा,	मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	07.01.2016 से 06.01.2020 तक	0761— 2670332	0761— 2670304	0761— 2670333
13	डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल,	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान वि.वि., जबलपुर	26.02.2016 से 25.02.2020 तक	0761— 2678007	0761— 2417734	2620283 2678007
14	श्री बी.आर. नायडू	डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु।	19.09.2017 से 18.09.2018	07324— 273186, 271004	07324— 274848	07324— 276545
15	डॉ. नरेन्द्र कुमार धाकड,	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	07.05.2016 से 06.05.2020 तक	2521887	0731— 2401180	0731— 2523352
16	प्रो. यजनेश्वर शास्त्री	सांची बौध्द-भारतीय ज्ञान अध्ययन वि.वि. सांची जिला रायसन	25.07.2016 से 18.12.2018 तक	—	—	—
17	प्रो. लवली शर्मा	राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला वि.वि., ग्वालियर	05.12.2016 से 04.12.2020 तक	0751— 2450241	2450568	0751— 2450241
18	डॉ. सुनील कुमार	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि., भोपाल	21.06.2017 से 20.06.2021 तक	2678801 2742001	0755— 2742002 2742000	0755— 2742002 2742006
19	डॉ. आर.आर. कान्हेरे	मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	18.03.2017 से 17.03.2018 तक	2424660 2492093	2492090 2492091	0755— 2424640
20	डॉ. मुकेश कुमार तिवारी	पं. शंभूनाथ शुक्ल, विश्वविद्यालय, शहडोल	12.08.2017 से 11.08.2022 तक	07652 240917	07652 241439	07652 0240429

**मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों एवं कुलाधिपतियों की सूची (दिनांक 07.04.2018)**

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	कुलाधिपति का नाम	दूरभाष एवं मोबाईल नं.
01	ए.के.एस.निजी विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.) 2012	श्री बनमाली प्रसाद सोनी, कुलाधिपति	9303310032
02	ऐमिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) 2012	श्री सुनील सरन, कुलाधिपति	.....
03	पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	श्री सुरेश एन. विजयवर्गीय, कुलाधिपति	9303131716
04	सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय, (आर.के.डी.एफ.) भोपाल (म.प्र.)	(श्रीमती ) जनक कपूर कुलाधिपति	0755-2762311
05.	ओरिएन्टल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) (2011)	श्री के.एल.ठकराल, कुलाधिपति	9893120918
06	आई.टी.एम निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)	श्री रमाशंकर सिंह, कुलाधिपति	.....
07	आईसेक्ट निजी विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ रायसेन (म.प्र.) (2011)	श्री संतोष चौबे, कुलाधिपति	9326256733
08.	जे.पी. निजी विश्वविद्यालय, राधोगढ़ गुना (म.प्र.)	श्री जय प्रकाश गौर, कुलाधिपति	0120-2465501
09	स्वामी विवेकानन्द निजी विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 2011	श्री अजय कुमार तिवारी कुलाधिपति	9425170834
10	टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिरोंज विदिशा (म.प्र.) (2011)	श्री गौतम राय चौधरी, कुलाधिपति	
11.	जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) (2013)	श्री हरीमोहन गुप्त, कुलाधिपति	
12.	मेडीकेप्स यूनिवर्सिटी, इन्दौर(म.प्र.)	श्री रमेशचन्द्र मित्तल, कुलाधिपति	
13.	पी.के. निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, कुलाधिपति	
14.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	श्री पुरुषोत्तम दास पसारी, कुलाधिपति	
15.	एल.एन.सी.टी. निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	श्री जयनारायण चौकसे, कुलाधिपति	
16.	श्री सत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान निजी विश्वविद्यालय, सिहोर (म.प्र.) (2013)	श्री सिद्धार्थ कुमार, कुलाधिपति	
17.	मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) (2013)	श्री नरेन्द्र नाहटा, कुलाधिपति	
18.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)(2011)	डॉ (श्रीमती) साधना कुमारी कुलाधिपति	
19.	डॉ ए.पी.जी. अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) (2015)	डॉ श्रुति कुमारी , कुलाधिपति	
20.	मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	श्रीमती अरुणा सिंह, कुलाधिपति	—

21.	सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इंदौर म.प्र.	डॉ. एस.बी. मुजुमदार, कुलाधिपति	
22.	जी.ए. रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा म.प्र.	श्री सुनील ज्ञानचन्दजी, रायसोनी कुलाधिपति	
23.	सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	श्री संजीव अग्रवाल	
24.	अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)	श्री संजय गोविंद धांडे	
25.	वी.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय सीहोर (म.प्र.)	डॉ. जी. विश्वनाथन	
26.	रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	श्री स्वप्निल कोठारी	
27.	मध्यांचल प्रोफेशनल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	श्रीमती प्रीति पटेल कुलाधिपति	
28.	भाभा निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	डॉ.(श्रीमती) साधना कुमारी कुलाधिपति	
29.	मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय सीहोर (म.प्र.)	कुलाधिपति की नियुक्ति नहीं हुई है।	

**मननीय राज्यपाल महोदय मध्यप्रदेश के निम्नलिखित निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष/विजीटर है:-  
(दिनांक 7.04.2018 की स्थिति में)**

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम
01	ए.के.एस.निजी विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.) 2012
02	ऐमिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) 2012
03	पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
04	सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय, (आर.के.डी.एफ.) भोपाल (म.प्र.)
05.	ओरिएन्टल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) (2011)
06	आई.टी.एम निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
07	आईसेक्ट निजी विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ रायसेन (म.प्र.) (2011)
08.	जे.पी. निजी विश्वविद्यालय, राधोगढ़ गुना (म.प्र.)
09	स्वामी विवेकानन्द निजी विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 2011
10	टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिरोंज विदिशा (म.प्र.) (2011)
11.	जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) (2013)
12.	मेडीकेप्स यूनिवर्सिटी, इन्दौर(म.प्र.)
13.	पी.के. निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)
14.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
15.	एल.एन.सी.टी. निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
16.	श्री सत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान निजी विश्वविद्यालय, सिहोर (म.प्र.) (2013)
17.	मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) (2013)
18.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)(2011)
19.	डॉ ए.पी.जी. अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) (2015)
20.	मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
21.	सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इंदौर म.प्र.
22.	जी.ए. रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा म.प्र.
23.	सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
24.	अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
25.	वी.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय सीहोर (म.प्र.)
26.	रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
27.	मध्यांचल प्रोफेशनल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
28.	भाभा निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
29.	मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय सीहोर (म.प्र.)

## अध्याय – 5 (मैनुअल-4)

### नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

#### नीति निर्धारण हेतु

5.1 निरंक

#### नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 निरंक

## अध्याय – 6 (मैनुअल – 5)

### लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (categories) के अनुसार विवरण

निरंक

## अध्याय – 7 (मैनुअल –6)

### बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण.

01

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता :राज्य विश्वविद्यालय की समन्वय समिति
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार – समिति
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय– स्थापना वर्ष 1973, विश्वविद्यालय से संबंधित नीतिगत विषयों का निर्धारण
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका – परामर्शदात्री
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34 के अनुसार
06	मुख्य अधिकारी का नाम– कुलाधिपति अध्यक्ष होते हैं
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते– राजभवन, मध्यप्रदेश
08	बैठक की आवृत्ति – वर्ष में दो बार एवं कुलाधिपति की वांछानुसार
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? – नहीं
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?– हां
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? – सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

02

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, मध्यप्रदेश राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी अधिनियम, 1920 (क्रमांक 15/1920) के अंतर्गत गठित सोसायटी

03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 1956 उद्देश्य : संघीय गणराज्य की सशस्त्र सेना के बीमार एवं घायल सैनिकों की चलित चिकित्सा सेवा, प्रसूति एवं बाल कल्याण, नर्सिंग एवं एम्बुलेन्स वर्क, भारत एवं भारत से बाहर प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिये राहत एवं बचाव कार्य, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों को सुविधाएँ एवं कपड़े उपलब्ध कराना तथा समाज में स्वास्थ्य चेतना का प्रसार करना। मुख्य कृत्य : प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में आपातकालीन सहायता देना, ब्लड बैंक, रक्तदान शिविरों का आयोजन, जूनियर एवं यूथ रेड क्रॉस का संचालन, एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता अभियान, फर्स्ट-एड ट्रेनिंग, जल एवं सफाई व्यवस्था की उपलब्धता देखना।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में)।
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था। सदस्य संख्या –63
06	मुख्य अधिकारी का नाम	चेअरमेन
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	मुख्य कार्यालय – भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, मध्यप्रदेश राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, शिवाजी नगर, भोपाल जिला शाखाएं – 48 उप शाखाएं – 54
08	बैठक की आवृत्ति	साधारण सभा – वर्ष में एक बार। प्रबंध समिति – वर्ष में दो बार। कार्यकारिणी समिति – प्रतिमाह।
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

### 03

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	Amalgamated Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-Servicemen, Madhya Pradesh. (A. S. F.)
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	बोर्ड।
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 16 अप्रैल, 1952

		<p>उद्देश्य : इस निधि का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं (सैनिकों की) एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।</p> <p>मुख्य कृत्य : इस निधि का मुख्य कार्य भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं (सैनिकों की) एवं उनके आश्रितों को विभिन्न उद्देश्यों के लिये आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है तथा उनके बच्चों को विद्यालयों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।</p>
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (समामेलित विशेष निधि का संचालन करना)
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था। सदस्य संख्या – 10
06	मुख्य अधिकारी का नाम	संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश एवं सचिव, ए.एस.एफ.
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	संचालनालय, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश, गुरु तेग बहादुर काम्लैक्स, टी.टी. नगर, भोपाल के अन्तर्गत संचालित। शाखाएँ नहीं हैं।
08	बैठक की आवृत्ति	वर्ष में एक बार।
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

#### 04

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद, छात्रावास क्रमांक-5, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल।
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	परिषद।
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 1959 उद्देश्य : महिलाओं एवं बच्चों का विकास। मुख्य कृत्य : 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों के लिए झूलाघरों का संचालन। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 256 झूलाघर संचालित तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (महिला) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं कार्यक्रमों का संचालन। वीरता पुरस्कारों हेतु बच्चों का नामांकन/ चयन।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (झूलाघर, आँगनवाड़ी केंद्र)।
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था लगभग 300 सदस्य, जिनमें 212 आजीवन सदस्य।
06	मुख्य अधिकारी का नाम	सचिव



07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद, छात्रावास क्रमांक-5, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल। शाखाएँ नहीं हैं।
08	बैठक की आवृत्ति	साधारण सभा : वर्ष में एक बार। कार्य. समिति : वर्ष में दो बार
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

**List of Organizations of which the Governor, Madhya Pradesh is  
President/Chairman/Chief Patron/Patron etc. (As on 28-05-2018)**

S. No.	Name of Organization	H.E. the Governor	Officers & Designation	Phone No.
01	Amalgamated Ex-Serviceman Benevolent Fund, Madhya Pradesh Sainik Kalyan, GTB Complex, Bhopal (M.P.)	<b>Chairman</b>	Director Brg. R.S.Nautiyal Joint Director Capt.(IN) Alexander	0755-2553992 2553743
2.	Indian Red Cross Society, Madhya Pradesh State Branch, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)	<b>President</b>	President Mr.Ashutosh Purohit General-Secretary Mr.Ganesh Dube	0755 - 2550441 2551657 7974581567
3.	Madhya Pradesh Council for Child Welfare, No. 5 Hostel Piplani BHEL, Bhopal (M.P.)	<b>President</b>	Vice-President Mr.S.D. Sharma Secretary Mr. Anil Salwadia	0755-2686851 9893733766 9329539406
4.	Environment Planning and Co-ordination organization, EPCO, 1100 Qtrs. Bhopal (M.P.)	<b>President</b>	Director General Mr Anupam Rajan Director Mr. P.Narhari	0755-2466859 2464318 फैक्स-0755 462136
5.	Madhya Pradesh Tuberculosis Association, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.)	<b>Patron</b>	Working Chairman Smt. Manjula Ponda Secretary Dr. G.P. Saxena	0755-2665614 898201301
6.	Madhya Pradesh Bharat Scout & Guides, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.)	<b>Patron</b>	State Chief Commissioner Mr. Paraschandra Jain State Secretary Mr. Alok Khare	0755-2661263 2737446 9425302998
7.	Madhya Pradesh Rashtra Bhasha prachar samiti, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.)	<b>Ex-officio Trustee</b>	Mantri/Director Mr. Kailash Chandra Pant	0755-2661087 2738612 9826046792
8.	Madhya Pradesh Tulsi Manas Pratishthan, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.)	<b>Chief Patron</b>	Officiation Chairman Mr. Ramakant Dubey	0755-2661196 2660010
9.	Madhya Pradesh Welfare Association for the Blind, Indore (M.P.)	<b>Chief Patron</b>	President Dr. M.V. Shirdhonkar	0731-2410296 4096265 9425380937
10	The Blind Relief Association, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)	<b>Chief Patron</b>	President Mr. Naseer Husain	0755-2552601 09425005998
11	Madhya Pradesh CO-ordination committee	<b>Chairman</b>		

अध्याय – 8 (मैनुअल-8)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 लोक प्राधिकरण का नाम : राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी.	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	निवास			
1	श्री राजेश गुप्ता	राज्यपाल के विशेष सहायक	0755	2858840		2858825 2858832	sapiorajbhawan@mp.gov.in	राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल

सहा. लोक सूचना अधिकारी

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी.	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्या.	निवास			
1	श्री प्रताप सिंह बारिया	सहायक लेखाधिकारी	0755	2858843		2858825 2858832		राजभवन, मध्य प्रदेश भोपाल

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्या.	निवास			
1	श्री शैलेन्द्र कियावत	राज्यपाल के सचिव	0755	2858824 2858823		2858825 2858832	asrajbhawan@mp.gov.in	राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल

## अध्याय – 9 (मैनुअल-8) निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राजभवन में सामान्यतः निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत सचिवालय से नस्ती प्रचलित होकर संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उप सचिव/ अपर सचिव के स्तर से राज्यपाल के प्रमुख सचिव को प्रस्तुत की जाती है। विशिष्ट मामलों में माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

विधिक मामलों में विधि अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है प्रमुख सचिव को नस्ती प्रस्तुत की जाती है। विशिष्ट मामलों में माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां आदि के मामले प्रमुख सचिव के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को आदेशार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

पदेन कुलाधिपति के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालय से संबंधित प्रकरण उपसचिव/अपर सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव को प्रस्तुत किये जाते हैं। विशिष्ट मामले कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है ?

लिए गए निर्णय की जानकारी संबंधित को दी जाती है।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियोंकी संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है

बिंदु क्रमांक 9.1 के अनुसार

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी

प्रशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय के लिए सामान्यतः राज्यपाल के प्रमुख सचिव विभाग प्रमुख की हैसियत से सक्षम हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश प्राप्त किये जाते हैं।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है।

<b>क0सं0 – 1</b>
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)—विधेयकों/अध्यादेश के अनुमति/प्रख्यापन के संबंध में
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत
निर्णय लेने की प्रक्रिया—विधानसभा/राज्य शासन से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर राज्यपाल के प्रमुख सचिव के माध्यम से राज्यपाल महोदय को आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है ।
निर्णय में शामिल अथैरिटी का पदनाम—राज्यपाल के विधि अधिकारी, राज्यपाल के प्रमुख सचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन –मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

<b>क0सं0 – 2</b>
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) – संवैधानिक पदों पर नियुक्ति
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत
निर्णय लेने की प्रक्रिया – राज्य सरकार/केंद्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किए जाकर उनपर आदेश प्राप्त किये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम-माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल के प्रमुख सचिव
निर्णय लेने में शामिल अथोरिटी की सम्पर्क सूचना – राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

<b>क0सं0 – 3</b>
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) – राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति/अभ्यावेदनों का निराकरण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों, राज्य शासन के तहत एवं राज्यपाल में कुलाधिपति के रूप में निहित शक्तियां
निर्णय लेने की प्रक्रिया – संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम – माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल के प्रमुख सचिव अपर सचिव एवं उपसचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है

<b>क0सं0 –4</b>
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) –अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त दया याचिका
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – राज्य शासन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर
निर्णय लेने की प्रक्रिया – विधिक परीक्षण के उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय से आदेश प्राप्त किये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम – माननीय राज्यपाल महोदय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन-मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

अध्याय – 10 (मैनुअल – 9)  
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

राजभवन ई-मेल mprajbhavan@mp.gov.in

नाम / पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल
		कार्या0	निवास		
डॉ. एम. मोहन राव	0755	2858817	2762522	2858816	psrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के प्रमुख सचिव		2858818			
श्री भरत पी. महेश्वरी		2858820	246441	2858816	lorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के विधि अधिकारी					
श्री शैलेन्द्र कियावत,		2858824	2570211	2858825	asrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के सचिव					
रिक्त		2858826	2858827		
राज्यपाल के उप सचिव					
श्री अशोक देसाई		—	—		
O.S.D.					
श्री विनायक वर्मा		2858828	2858829	2858832	adcprajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के परिसहाय					
स्काडन लीडर विजय राणा		2858830	2858831	2858832	adcdrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के परिसहाय					
श्री राजेन्द्र कुमार राजपूत		2858835	94251966 69	2858832	prorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के प्रेस अधिकारी					
सुश्री लता शरणागत		2858833	2858834	2858825	comp.srajbhavan@mp.gov.in
नियंत्रक, हाउसहोल्ड					
श्री राजेश बरसैया गुप्ता		2858840	2463450	2858825	sapiorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के विशेष सहायक					
श्री आलोक दुबे		2858841	4222546	2858825	aorajbhavan@mp.gov.in
लेखा अधिकारी					
डॉ0 एन0के0पाठक		2858836	2858838		morajbhavan@mp.gov.in
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी					
डॉ0(श्रीमती) नीता मेहरोत्रा		2858836	—	2467710	
चिकित्सा विशेषज्ञ					
डॉ0(श्रीमती) संगीता जैन		2858836	—	2467708	
चिकित्सा विशेषज्ञ					
डॉ0 (श्रीमती) किर्ती राठौर		2858837	—	2467764	

चिकित्सा अधिकारी(होम्योपैथ)					
डॉ० एस.के. पाण्डे		2858837	2761411		
चिकित्सा अधिकारी(आयुर्वेद)					
श्री धूमिल कुमार पटेल		2858813	2858814	2858816	pstogovrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के निज सहायक					
श्री आर. आर. शर्मा		2858813	2858815	2858816	patorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के व्यक्तिक सहायक					
श्री नीरज ठाकुर		2858839			
मुख्य सुरक्षा अधिकारी					
श्री विकास कुमार जायसवाल		2858846			catmrajbhavan@mp.gov.in
कैटरिंग मैनेजर					
श्रीमती शिल्पी दिवाकर,		2858844	2858845		aporajbhavan@mp.gov.in
सहा. सत्कार अधि०					
श्री कुलदीप सक्सेना,		2858864	—	2858894	
उपयंत्री					
श्री हेमन्त झारिया,		2858865	—	2858895	
उपयंत्री					
श्री एस.. यू. सिद्धिकी		2858866	—	—	
उद्यान अधीक्षक					
डॉ. राजकुमार जैन		2858851		—	soerajbhavan@mp.gov.in
अनुभाग अधिकारी (स्था०)					
श्री सुनिती टाईटस		2858848		—	sourajbhavan@mp.gov.in
अनुभाग अधिकारी (वि०वि०)					
री प्रताप सिंह बारिया		2858843	—	—	aaorajbhavan@mp.gov.in
सहायक लेखा अधिकारी					
श्री संतोष देवडा		2858818	2858819		patopsrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निज सहा.					
श्रीमती बिसनी शिवदास		2858818	2858892		patopsrajbhavan@mp.gov.in

राज्यपाल के प्रमुख सचिव के निज सहा.					
श्री शिवनारायण प्रसाद		2858824	—		patoasrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के अपर सचिव के निज सहा.					
पी0एस0ओ0 कक्ष		2858872			
कंपनी कमांडर		2858871			
स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, राजभवन		2858867			
पोस्ट ऑफिस, राजभवन		2572105			
लायब्रेरियन		2858856			
श्री बी.के. तिवारी		2858852	2858888		
सहायक ग्रेड-1					
श्री अशोक शर्मा(सत्कार सहायक)		9893300813 2858889	2858890		



अध्याय –11 (मैनुअल-10)  
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 जानकारी निर्धारित प्रारूप में संलग्न है :-

LIST OF RAJBHAVAN EMPLOYEE

<u>Name</u>	<u>Designation</u>	<u>Monthly Remunerati on (Basic)</u>	<u>Compensation / Compen satory allowance ( Gross Pay)</u>	<u>The procedure to determine the remuneration as given in the regulation</u>
<u>Dr M Mohan Rao</u>	<u>Principal Secretary</u>	<u>217600</u>	<u>228480</u>	
<u>Shri Bharat P. Maheshwari</u>	<u>Law Officer</u>	<u>81420</u>	<u>89065</u>	
<u>Shri Shailedra Kiyawat</u>	<u>Secy.</u>	<u>179300</u>	<u>190215</u>	
<u>Shri Vinayak Verma</u>	<u>ADC to Governor</u>	<u>69700</u>	<u>73635</u>	
<u>Ku. Lata Sharnagat</u>	<u>Comptroller</u>	<u>75700</u>	<u>80705</u>	
<u>Shri Alok Dubey</u>	<u>Accounts Officer</u>	<u>75400</u>	<u>82476</u>	
<u>Shri Rajesh Barsaniya Gupta</u>	<u>SA to Governor</u>	<u>77700</u>	<u>85123</u>	
<u>Dr. Raj Kumar Jain</u>	<u>Section Officer</u>	<u>82400</u>	<u>90383</u>	
<u>Shri Deviki Nadan Yas</u>	<u>Asst. Grade II</u>	<u>7400</u>	<u>31754</u>	
<u>Smt. Sosamma Roy</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>25400</u>	<u>27355</u>	
<u>Shri Vikas Parasar</u>	<u>Asst. Grade I</u>	<u>39600</u>	<u>43832</u>	
<u>Shri Jeevan Khanna</u>	<u>Driver</u>	<u>26200</u>	<u>28195</u>	
<u>Shri Indresh Sharma</u>	<u>Asst. Grade I</u>	<u>39600</u>	<u>43799</u>	
<u>Shri Bhadur Singh Yadav</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>21300</u>	<u>23874</u>	
<u>Smt. Vadana Purkam</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>25400</u>	<u>28320</u>	
<u>Smt. Kalpna Atulkar</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>19500</u>	<u>21087</u>	
<u>Smt. Santosh Kumar Jatav</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>21300</u>	<u>24030</u>	
<u>Shri Basant Kumar Tiwari</u>	<u>Astt. Grade. I</u>	<u>47300</u>	<u>50372</u>	
<u>Shri Sunil Kumar Bhoyar</u>	<u>Astt. Grade. I</u>	<u>43300</u>	<u>46205</u>	

<u>Shri Shiv Narayan Prasad</u>	<u>PA</u>	<u>47300</u>	<u>52222</u>	
<u>Smt. Manisha Shrivastava</u>	<u>Asst. Programmer</u>	<u>45900</u>	<u>48935</u>	
<u>Smt. Bisni Shivdas</u>	<u>PA</u>	<u>51700</u>	<u>55025</u>	
<u>Shri Suniti Kumar Titus</u>	<u>Asst. Grade. I</u>	<u>54100</u>	<u>59578</u>	
<u>Dr. Praveena Devasar</u>	<u>Asst. Grade. I</u>	<u>58200</u>	<u>61777</u>	
<u>Shri M.A. Raju</u>	<u>Setno</u>	<u>46700</u>	<u>49812</u>	
<u>Shri Shesh Rao Ahire</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>39600</u>	<u>42290</u>	
<u>Smt. Lissy Abraham</u>	<u>Asst. Programmer</u>	<u>50200</u>	<u>55376</u>	
<u>Shri Anand Swaroop Gupta</u>	<u>Asst. Grade. II</u>	<u>44600</u>	<u>47692</u>	
<u>Shri Santosh Kumar Malviya</u>	<u>Driver</u>	<u>42200</u>	<u>45035</u>	
<u>Shri Sudhir Sigaria</u>	<u>Driver</u>	<u>39800</u>	<u>42515</u>	
<u>Smt Deepa Laxmi Rangnekar</u>	<u>Asst. Grade. II</u>	<u>44000</u>	<u>48651</u>	
<u>Shri Mahesh Kumar Dhurvey</u>	<u>Data Entry Opertor</u>	<u>39800</u>	<u>42475</u>	
<u>Shri Subhash Kumar Barge</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>34100</u>	<u>36490</u>	
<u>Shri Mahendra Kumar Bhilala</u>	<u>Driver</u>	<u>31200</u>	<u>33485</u>	
<u>Shri Abdul Salam</u>	<u>Head Driver</u>	<u>45300</u>	<u>48204</u>	
<u>Shri Awadh Narayan Sharma</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>37300</u>	<u>39850</u>	
<u>Shri Prayag Rao Makode</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>32200</u>	<u>34495</u>	
<u>Shri Santosh Kumar Devada</u>	<u>PA</u>	<u>78000</u>	<u>82640</u>	
<u>Shri Ram Ratan Sharma</u>	<u>PS</u>	<u>73200</u>	<u>77750</u>	
<u>Shri Dayaram Chhabar</u>	<u>Sweeper</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Smt. Premda Bai</u>	<u>Sweeper</u>	<u>26600</u>	<u>28487</u>	
<u>Shri Santosh Kumar Rajbhar</u>	<u>Peon</u>	<u>24300</u>	<u>26125</u>	
<u>Shri Mubarik Ali</u>	<u>Peon</u>	<u>26600</u>	<u>28340</u>	
<u>Shri Sumer Singh</u>	<u>Peon</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Badri Prasad Pathak</u>	<u>Jamadar</u>	<u>34200</u>	<u>36520</u>	
<u>Shri Niraj Kumar Sahu</u>	<u>Peon</u>	<u>26600</u>	<u>28367</u>	
<u>Shri Kanta Prasad</u>	<u>Cook</u>	<u>29500</u>	<u>31585</u>	

<u>Sharma</u>				
<u>Shri Ramdas Berha</u>	<u>Sweeper</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Kanta Prasad</u>	<u>Sweeper</u>	<u>26600</u>	<u>28514</u>	
<u>Shri Vijay Kumar Jogale</u>	<u>Peon</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Smt. Sampat Bai</u>	<u>Sweeper</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Kubilal Sanodiya</u>	<u>Daftari</u>	<u>29700</u>	<u>31662</u>	
<u>Smt Chandra Bhagga</u>	<u>Peon</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Sita Ram Chhabar</u>	<u>Sweeper</u>	<u>26600</u>	<u>29555</u>	
<u>Shri Rajendra Singh Khaul</u>	<u>Peon</u>	<u>21500</u>	<u>23166</u>	
<u>Shri Prem Narayan Malviya</u>	<u>Sweeper</u>	<u>20900</u>	<u>22555</u>	
<u>Shri Abdul Firoz Khan</u>	<u>Waiter</u>	<u>21600</u>	<u>23090</u>	
<u>Shri Madhukar Rao</u>	<u>Waiter</u>	<u>21600</u>	<u>23290</u>	
<u>Shri Ajay Saini</u>	<u>Peon</u>	<u>17500</u>	<u>19798</u>	
<u>Shri Bisen Singh Dabar</u>	<u>Peon</u>	<u>20900</u>	<u>22555</u>	
<u>Smt. Shardha Utwal</u>	<u>Sweeper</u>	<u>20900</u>	<u>23177</u>	
<u>Shri Moolchand Basor</u>	<u>Sweeper</u>	<u>20900</u>	<u>23350</u>	
<u>Smt. Shilpi Bhangre</u>	<u>APO</u>	<u>49500</u>	<u>52595</u>	
<u>Smt. Rajshree Rajput</u>	<u>Telephone Operater</u>	<u>43500</u>	<u>46360</u>	
<u>Shri Devendra Kumar Dade</u>	<u>Driver</u>	<u>35300</u>	<u>37750</u>	
<u>Shri Sagir Khan</u>	<u>Driver</u>	<u>42200</u>	<u>45035</u>	
<u>Shri Zakir Hussain</u>	<u>Driver</u>	<u>39800</u>	<u>42476</u>	
<u>Shri Farzan Ali</u>	<u>Driver</u>	<u>34100</u>	<u>36530</u>	
<u>Shri Wahid Khan</u>	<u>Telephone Operater</u>	<u>39800</u>	<u>42475</u>	
<u>Shri Uma Nath Pandey</u>	<u>Masalchi</u>	<u>21000</u>	<u>22534</u>	
<u>Smt Geeta Pandhi</u>	<u>Khalashi</u>	<u>22200</u>	<u>23867</u>	
<u>Smt. Shweta Uike</u>	<u>peon</u>	<u>20900</u>	<u>22462</u>	
<u>Shri Shesham Ram Chhata</u>	<u>Mate</u>	<u>22200</u>	<u>23920</u>	
<u>Shri Mukesh Joshi</u>	<u>waiter</u>	<u>21600</u>	<u>23290</u>	
<u>Shri syed Khan</u>	<u>masalchi</u>	<u>20300</u>	<u>22577</u>	
<u>Shri Shanu Khan</u>	<u>peon</u>	<u>20300</u>	<u>21812</u>	
<u>Shri Kamalesh Dalodya</u>	<u>Asst. Cook</u>	<u>21600</u>	<u>23290</u>	
<u>Smt. Sunita Kelkar</u>	<u>peon</u>	<u>18500</u>	<u>20016</u>	
<u>Smt. Motiya Naqbal</u>	<u>peon</u>	<u>22200</u>	<u>24796</u>	

<u>Smt. Motan More</u>	<u>Khalasi</u>	<u>22200</u>	<u>23754</u>	
<u>Smt. Bhagwati Verma</u>	<u>Peon</u>	<u>17500</u>	<u>19022</u>	
<u>Shri Rakesh Kanojia</u>	<u>Dhobi</u>	<u>22100</u>	<u>23815</u>	
<u>Shri Suraj Singh</u>	<u>Khalasi</u>	<u>22200</u>	<u>23920</u>	
<u>Shri Surendra Kumar Sharma</u>	<u>Waiter</u>	<u>31500</u>	<u>33685</u>	
<u>Shri Surendra Chutelkar</u>	<u>sweeper</u>	<u>25000</u>	<u>26860</u>	
<u>Shri Francis Fernadancis</u>	<u>Khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>32732</u>	
<u>Smt. Asha Rawatal</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28800</u>	<u>30650</u>	
<u>Shri Ram Sharan Misra</u>	<u>Chokidar</u>	<u>27400</u>	<u>29380</u>	
<u>Shri Shamlal Singh</u>	<u>Khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>31795</u>	
<u>Shri Yung Bhadur</u>	<u>Cook</u>	<u>28600</u>	<u>30640</u>	
<u>Smt. Ruma Bai</u>	<u>Safai Jamadr</u>	<u>26600</u>	<u>28481</u>	
<u>Shri Eknath Dawale</u>	<u>Tidel</u>	<u>31300</u>	<u>33416</u>	
<u>Shri Shobha Ram Patidar</u>	<u>Khalasi</u>	<u>30600</u>	<u>32740</u>	
<u>Shri Nirajan Singh</u>	<u>Khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>31736</u>	
<u>Smt. Laxmi Devi</u>	<u>Jamadar</u>	<u>25800</u>	<u>27700</u>	
<u>Shri Abdul Sattar</u>	<u>Chhokidar</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Baliram Arya</u>	<u>Khalasi</u>	<u>25800</u>	<u>27700</u>	
<u>Shri Prakash Sanodiya</u>	<u>khalasi</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Bhart Bhushan Ogale</u>	<u>Care Taker</u>	<u>33200</u>	<u>35470</u>	
<u>Shri Sathedra Singh Bagel</u>	<u>Khalasi</u>	<u>27400</u>	<u>29380</u>	
<u>Shri Vijay Kumar Batham</u>	<u>Waiter</u>	<u>25600</u>	<u>27490</u>	
<u>Shri Anil Kumar Shrivastava</u>	<u>khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>31596</u>	
<u>Shri Rukmath Sharma</u>	<u>khalasi</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Manohar Lal</u>	<u>khalasi</u>	<u>26600</u>	<u>28454</u>	
<u>Shri Triloki Prasad</u>	<u>Masalchi</u>	<u>29700</u>	<u>31795</u>	
<u>Shri Chudamani Sharma</u>	<u>Chobdar</u>	<u>32200</u>	<u>34420</u>	
<u>Smt. Durga Sandhane</u>	<u>Khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>32749</u>	
<u>Shri Lakhn Lal Yadhav</u>	<u>Daftri</u>	<u>32200</u>	<u>34401</u>	
<u>Shri Sita ram Mourya</u>	<u>Khalasi</u>	<u>24300</u>	<u>26125</u>	
<u>Shri Bhagwat Ram</u>	<u>Khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>31795</u>	

<u>Arya</u>				
<u>Shri Kishan Nath</u>	<u>Khalasi</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Mohd. Ishaq Shah</u>	<u>Waiter</u>	<u>30400</u>	<u>32530</u>	
<u>Shri T Sahadevan</u>	<u>Chobdhar</u>	<u>33200</u>	<u>35470</u>	
<u>Shri Ramesh Chandra Jagade</u>	<u>Cleaner</u>	<u>27400</u>	<u>29380</u>	
<u>Shri Ashok Kumar Sharma</u>	<u>Prtocol Asstt.</u>	<u>29700</u>	<u>31795</u>	
<u>Shri Suresh Chandra Sharma</u>	<u>Khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>31795</u>	
<u>Shri Dil Bhahadur</u>	<u>Khalasi</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Basant Kumar Kanojiya</u>	<u>Dhobi</u>	<u>32200</u>	<u>34420</u>	
<u>Shri Ram Pal</u>	<u>cleaner</u>	<u>27400</u>	<u>29294</u>	
<u>Shri Raguveer Prasad</u>	<u>Khalasi</u>	<u>29700</u>	<u>31795</u>	
<u>Shri Rohit Kumar Tiwari</u>	<u>Chokidhar</u>	<u>26600</u>	<u>28540</u>	
<u>Shri Chandra Mani Wankhede</u>	<u>Khalasi</u>	<u>26600</u>	<u>28340</u>	
<u>Shri Bhoj Raj Sharma</u>	<u>Waiter</u>	<u>29700</u>	<u>31716</u>	

**अध्याय-12 (मैनुअल-11)  
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट**

**(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)**

2.1 निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिये लागू नहीं

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये (वर्ष 2016-17)

क्र.सं.	मद	स्वीकृत बजट (राशि रूपयों में)	शासन द्वारा प्रदत्त	कुल व्यय मार्च-17 तक
1.	2012-03- भारत	100025000 (भारत)	100025000	1,69,52135
2.	2012-03- मतदेय	11650000 (मतदेय)	11650000	95,46,426

**अध्याय -13 मैनुअल  
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति**

13.1 निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध हैं।

- कार्यक्रम/योजना का नाम – विवेकाधीन अनुदान
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा – वित्तीय वर्ष
- कार्यक्रम का उद्देश्य– विवेकाधीन अनुदान में निम्न प्रयोजन शामिल है :-
  1. ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार
  2. पाठशाला के योग्य तथा निर्धन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार।
  3. विधवा स्त्री एवं मुक्त बंधुआ मजदूर की लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता
  4. अत्यंत गरीब व्यक्ति को सहायता
  5. अनाथ या अपंग को सहायता
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) – निरंक
- लाभार्थी की पात्रता – कार्यक्रम के उद्देश्य में समाहित है।
- पूर्वापेक्षाएं – निरंक
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – आवेदन द्वारा
- पात्रता निश्चित करने के लिए मानदंड – कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल बिंदुओं की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज अथवा माननीय की वांछानुसार
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) – म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश भोपाल, दिनांक 4 दिसंबर 1995 क्रमांक एफ.ए. 2-49/95/एक (1) के अनुसार
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया – स्वीकृति उपरांत चेक द्वारा
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें – राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन म. प्र. भोपाल

- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) – निरंक
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) – निरंक
- आवेदन का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बतायें कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) – सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेज के साथ माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ।
- संलग्नकों की सूची – यथा आवश्यक
- संलग्नकों का प्रारूप – निरंक
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें – राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, म.प्र. भोपाल
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) – राजभवन सचिवालय का सहायक कार्यालय नहीं है।

#### अध्याय – 14 (मैनुअल-13)

#### रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

##### 14.1 निरंक

#### अध्याय – 15 (मैनुअल – 14)

#### कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें।

##### निरंक

#### अध्याय- 16 (मैनुअल-15)

#### इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

##### 16.1 निरंक

#### अध्याय- 17 (मैनुअल-16)

#### सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण जैसे –

- अभिलेखों का निरीक्षण – सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुरूप
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था – सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुरूप
- लोक प्राधिकरण की वेबसाइट –

<http://governor.mp.gov.in/>

**अध्याय – 18 (मैनुअल-17)**  
**अन्य उपयोगी जानकारियां**

**18.1** लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

- प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कैसे किया जाए।  
उत्तर – निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा।
- प्रश्न – आवेदन किसको प्रस्तुत किया जाए।  
उत्तर – राज्यपाल के विशेष सहायक को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है, आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राज्यपाल के विशेष सहायक) को प्रस्तुत किया जावेगा।
- प्रश्न – आवेदन के साथ कितना शुल्क जमा करना होगा।  
उत्तर – शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को शुल्क से छूट है।
- प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या जानकारी दी जा सकती है।  
उत्तर – नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत जानकारी कितने समय में प्राप्त होगी।  
उत्तर – आवेदन देने के 30 दिवस के अंदर।
- प्रश्न – आवेदन किस भाषा में भरा जा सकता है।  
उत्तर – हिन्दी या अंग्रेजी में
- प्रश्न – निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने पर क्या प्रावधान है।  
उत्तर – निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने पर बाद में निःशुल्क दी जावेगी।
- प्रश्न – इस संबंध में अपील करने का क्या प्रावधान है।  
उत्तर – लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील राज्यपाल के अपरसचिव को की जावेगी। अपरसचिव के दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की जावेगी।

**18.2** सूचना प्राप्त करने के संबंध में – प्रपत्र एक



## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

### 0.1 आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)

1. आवेदक का नाम .....रामप्रसाद.....
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है..... ग्राम-पोस्ट गुरैया जिला-छिन्दवाड़ा म.प्र. 48001
3. दूरभाष क्रमांक.....07162 -256535
4. आवेदन देने का दिनांक .....15 सितंबर 2005
5. कार्यालय का नाम .....राजभवन- म.प्र., भोपाल
6. चाही गई जानकारी का विवरण ....- 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2003 तक जमा किये गये विद्युत देयकों (कृषि पम्प) की राशि का समायोजन बाबत प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही।
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना .....  
.नकल.....
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी- रुपये 10/- नगद/स्टाम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)  
रसीद क्रमांक.....100.....एवं दिनांक.....14.10.05
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हां/नहीं - नहीं.....  
यदि हां तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर

सही

(आवेदन कर्ता)

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान ज्युडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न करें।

### पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक --- 14.10.05
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक --- 25.10.05
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी.....राज्यपाल के विशेष सहायक (लोक सूचना अधिकारी )

दिनांक...14.10.05

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
पदनाम (रबर सील)

## **0.2 शुल्क**

- अ. आवेदन पत्र के साथ 10/- का शुल्क नकद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में लगाना अनिवार्य है। (बी.पी.एल. आवेदक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित बी.पी.एल. प्रति प्रस्तुत करने पर शुल्क मुक्त)
- ब. दस्तावेज/अभिलेखों की फोटोकापी हेतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित शुल्क।
- स. प्रामाणिक नमूना प्रदाय किये जाने हेतु वास्तविक लागत जैसा लोक सूचना अधिकारी निर्धारित करे।
- द. प्रथम अपील शुल्क 50/- तथा द्वितीय अपील शुल्क 100/- नकद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है। (बी.पी.एल. आवेदक शुल्क मुक्त)
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए—कुछ टिप्स  
संलग्न प्रपत्र क्रमांक -1 भरकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
  - सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया

लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील राज्यपाल के अपर सचिव को की जावेगी जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी के रूप में नामांकित हैं। अपीलीय अधिकारी के दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की जावेगी।

18.3 निरंक

18.4 निरंक

18.5 निरंक


18.6 निरंक

18.7 निरंक

## संगठन चार्ट

माननीय राज्यपाल मध्यप्रदेश

राज्यपाल के प्रमुख सचिव



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन- वर्ष 2017.											प्रपत्र-“अ”
क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2016. को लंबित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2017. से 31.12.17 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2017. से 31.12.17 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.17. को लंबित आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गया	वर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण		
									आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल	श्री राजेश बरसैयों 'गुप्ता'	10	164	174	156	18	03	1320	4468	5788

नोट:-

01. लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) में परिभाषित है।
02. इस प्रपत्र में 01 जनवरी, 2017. से 31 दिसम्बर., 2017 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध/अन्तर्गत "लोक प्राधिकारी" वार अपीलों का विवरण दिया जाना है।
03. संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च..... तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को जानी है अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन- वर्ष 2017.								प्रपत्र-“ब”
क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2016 को लंबित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक निराकृत अपीलों की संख्या	दिनांक 31.12.2017 को लंबित अपीलों की संख्या	अपील के माध्यम से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल	श्री शैलेन्द्र कियावत	निरंक	15	15	15	निरंक	500

नोट:-

- 01 लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) में परिभाषित है।
- 02 इस प्रपत्र में 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध/अन्तर्गत “लोक प्राधिकारी” वार अपीलों का विवरण दिया जाना है।
- 03 संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च..... तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को जानी है अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी							प्रपत्र- स
वार्षिक प्रतिवेदन – 2017.							
क्र.	विभाग का नाम	सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या			प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या		
		प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

प्रपत्र-द

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन-2017

वर्ष 2017 में राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं की संख्या जो कि अधिनियम की धारा (2) के तहत "SUBSTANTIALLY FINANCED" की श्रेणी में आती है।

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	संस्था का नाम व पता
1	2	3
	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	निरंक

